संख्या-223/2026/801के-2/22-3-2025-17(1181)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 02 जुलाई, 2026***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी घरभरन पुत्र श्री कन्हई, निवासी जनपद-महराजगंज की स्थाई नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-35825/प्रो(6)/256 (शिक्षक दिवस-25), दिनांक 12.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी घरभरन पुत्र श्री कन्हई, जो ग्राम-अहिरौली, टोला-मदरहा, थाना-परसामलिक, जनपद-महराजगंज का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 13-03-2008 को अपने 01 सहअभियुक्त (पिता) के साथ मिलकर अपनी पत्नी शकुन्तली को देह व्यापार में आलिप्त करने के लिये बाध्य किया, पत्नी द्वारा इंकार करने पर कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी शकुन्तली की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को गैंगेस्टर परीक्षण संख्या-83/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 व 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-2, महराजगंज के आदेश दिनांक 23-12-2016 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05-09-2025 तक 17 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु 43 वर्ष, 05 माह, 18 दिन है।

3- दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा अपनी पत्नी शकुन्तली को देह व्यापार में आलिप्त करने के लिये बाध्य किया, पत्नी द्वारा इंकार करने पर कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी शकुन्तली की हत्या करने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई, 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018, दिनांक 27-05-2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी घरभरन पुत्र श्री कन्हई की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी घरभरन (बंदी संख्या-301/2024) पुत्र श्री कन्हई, निवासी जनपद-महराजगंज की "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-161 के अधीन स्थाई नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 01-08-2018, 28-07-2021 तथा 27-05-2022 के प्रस्तर-12 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।